GCMS no. 2025/461

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

**पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार** आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 33/2025

**अपीलान्ट : –**

1. भींयाराम पुत्र श्री भीखारामजी जाति पटेल, निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर

**ब ना म**

**रेस्पोडेन्ट्स : –**

1. कमलादेवी पत्नी श्री किशनदासजी
2. ज्ञानदास पुत्र श्री किशनदासजी
3. जीवनदास पुत्र श्री किशनदास जी
4. ममता पत्नी श्री जीवनदासजी
5. शोभादेवी पत्नी श्री ज्ञानदासजी जातियान साद, ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. स्व. मदनलाल पुत्र मंगलदास के वारिसान–
   6/1 प्रकाश पुत्र स्व. मदनलाल
   6/2 रवि पुत्र स्व. मदनलाल जातियान साद, निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
7. जोगाराम पुत्र श्री धन्नाराम जी
8. भोलाराम पुत्र श्री धन्नारामजी जातियान पटेल, निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।
9. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच।

---

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**
**विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 146(159) जो ग्राम पंचायत सालावास द्वारा दिनांक (अस्पष्ट)को ग्राम सालावास के खसरा संख्या 746 रकबा 44 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में स्वीकृत किया गया।**

**उपस्थिति : –**

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता सुमित राजपुरोहित।

**दिनांक :–** 30.03.2026

## – :: निर्णय :: –

1. अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 146(159) जो ग्राम पंचायत सालावास द्वारा दिनांक (अस्पष्ट) को ग्राम सालावास के खसरा संख्या 746 रकबा 44 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई।

2. अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मीमों में अंकित अभिवचनों के अनुसार प्रकरण सारवान एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी में खसरा संख्या 746 की कुल रकबा 44 बीघा 02 बिस्वा, कृषि भूमि मूल रूप से भीखाजी पुत्र हिमता, कौम पिटल, अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि थी उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

संख्या छः व सात के नाम से बिना किसी वैध/रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के नामान्तरकरण संख्या 146 (159) के द्वारा कुल 99/– रूपयें यानि लगभग 2.25/– रूपयें प्रति बीघा के भाव से फर्जी तरीके से बेचान बताकर दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय अपीलाण्ट के पिता, उनके परिवारजन अथवा अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया एवं बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट संख्या छः व सात के नाम से उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज कर दी गयी इसलिये नामान्तरकरण संख्या 146 (159) बिना किसी आधार के दर्ज किये जाने से शुरू से ही शुन्य एवं प्रभावहीन हैं ऐसे नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण जैर अपील की स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व रेकर्ड, हस्तान्तरण विलेख एवं कब्जे की विस्तृत जाँच की जानी चाहिये थी लेकिन ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्ट संख्या छः व सात के हक में बिना वैध/रजिस्ट्रर्ड हस्तान्तरण विलेख के नामान्तरकरण दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है तथा बाले बाले तरीके से ही मिलावटी कार्यवाही के तहत नामान्तरकरण को दर्ज किया गया है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी बहैसियत खातेदार के काबिज हैं तथा उक्त नामान्तरकरण की आड़ में रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना कब्जे काश्त के ही बेचान करने लग गये एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच व सात एवं आठ बिना कब्जा के ही राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से इन्द्राज करवाकर अपीलाण्ट को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए हैं। अतः अपील पेश अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 146 (159) जो कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सालावास द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या छः व सात के हक में स्वीकृत किया गया हैं उसे निरस्त किया जाने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र का पेश कर कथन किया उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी को बिना सूचित किये स्वीकार गया तथा कोई सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पहले नहीं थी, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई अतः अपील अन्दर मियाद सुमार की जावें।

4. अपीलांट द्वारा पेश धारा 5 म्याद प्रार्थना में म्याद बिन्दु को सुरक्षित रखते हुएप्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया गया जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर राजस्व रैकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखते हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.09.2025 को जारी की गई। रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 7 से 8 की तरफ से अधिवक्ता सुमित राजपुरोहित द्वारा वकालतनामा और प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा मिथ्या रूप से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो प्रारम्भ से ही अस्वीकार किये जाने काबिल है। अपीलांट प्रार्थी द्वारा मोजूदा अपील नामान्तरण स्वीकार किये जाने के करीब 55 वषो से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा यह भी कथन किया कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

में यह नहीं दर्शाया कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी उसको कब व किसके माध्यम से हुई न ही किसी अन्य व्यक्ति का उसके समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा पेश अपील नामान्तकरण संख्या 146 जो दिनांक 01–03–1970 को पंचायत के प्रस्ताव से स्वीकृत हुआ। पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट्स के बेचान की पुर्ण व खुले आम जांच की गई, जिसमे किसी प्रकार का कोई आपत्ति अपीलांट या उसके पूर्वज द्वारा नहीं की गई यदि की गई होती तो अपीलांट उसका उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र मे करता और तत्समय ही अपील कर देता। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रारम्भ से ही नामान्तरण स्वीकार होने की जानकारी रही है।

6. रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बहस में यह भी निवेदन किया कि अब जमीनो के भाव बढ जाने से अपीलांट के मन मे लोभ व लालच आ जाने से वंशीभूत होकर रेस्पोडेन्ट्स से धन ऐठने की नियत से अपील पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह भी कही दर्शित नहीं किया कि उसके पूर्वज भीखाराम का स्वर्गवास किस दिवस को हुआ और भीखाराम ने उक्त रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किए गए बेचान को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कार्यवाही की या नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा अपील व मोजूदा प्रार्थना के संबंध में काफी समयावधि व्यतीत होने का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया है जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने काबिल है। ग्राम पंचायत सालावास के द्वारा जारी पत्रांक 462 दिनांक 5–10–2025 मे भी रेस्पोडेंट्स धन्नाराम जोगाराम व मदनलाल का कब्जा–काश्त नामान्तरण संख्या 746 में वर्णित खसरान की भुमि पर काबिज काश्त विधिनुसार होने का प्रमाण पत्र जारी किया है। ग्राम पंचायत के नामान्तकरण दायर पंजिका वर्ष 25–1–70 से 15–6–70 के अनुसार भी विधिनुसार आक्षेपित नामान्तरण स्वीकार किये जाने का उल्लेख है जिससे भी स्पष्ट है कि आक्षेपित नामान्तरण विधि की प्रकिया अपनाते हुए पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसको अब 55 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद यह अपील प्रस्तुत की गई जिससे अपीलांट की मंशा स्पष्ट धन ऐठने की है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परीसीमा अधिनियम अस्वीकार करते हुए अपील को इसी आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमो में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए नामान्तकरण अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरित रेस्पोडेन्टस् द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि अपील पुर्णतया म्याद बाहर है तथा म्याद बिन्दु पर ही अपील खारिज किया जावे।

8. **चुंकि प्रत्येक अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने से पहले अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के संबंध में पेश धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत यदि कोई वाद, अपील, या आवदेन में निर्धारित समय–सीमा के बाद दायर किया जाता है, भले ही वादी/अपीलांट द्वारा परिसीमा की दलीले दी हो या नही, तो वह खारिज किये जाने योग्य है।**

9. अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पेश किया परन्तु अपील पेश करने हेतु हुई देरी के लिए कोई न्यायोचित एवं स्पष्ट कारणों से अवगत नहीं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

करवाया है। अपीलाधीन नामान्तरकण अपीलांट के पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या छ सात के नाम तथाकथित बेचान करने के फलस्वरूप दर्ज हुआ जिसके लगभग 55 वर्षो पश्चात मुल खातेदार भीखाजी के पुत्र यानी अपीलांट द्वारा यह पेश की गई तथा प्रार्थना पत्र व अपील को अन्दर मियाद में लाने के आशय से कथित तिथी तारीख 04.09.2025 का अंकन अपीलांट ने किया है जो कतई स्वीकार किये जाने काबिल नहीं है। इसके अतिरिक्त एक लिमिटेशन के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या एक से आठ द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत सहमति पत्र में उक्त नामान्तकरण बाबत् कोई उज्र–एतराज होना नहीं बताया है। **अतः धारा 5 प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों से यह न्यायालय सहमत नहीं तथा अंकित कथन पर्याप्त एवं सद्भावी प्रतीत नहीं होते है।** पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 146 (159) के विरूद्ध अपील निर्धारित समय सीमा के बाद लगभग 55 वर्षो पश्चात पेश की गई। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा पेश अपील को म्याद बाहर मानते हुए धारा 5 म्याद अधिनियम को खारिज किया जाता है। उपरोक्त आधार पर अपीलान्ट की नामान्तकरण अपील को अन्दर म्याद नहीं माना जा सकता और लिमिटेशन के आधार पर खारिज किया जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

11. निर्णय आज दिनांक 30.03.26. को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी